बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक 09.02.2026

संख्या–08/आ०5–26/2022–195/जिला शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक 1468 दिनांक 09.06.2022 द्वारा श्री विनोद कुमार साह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, पद का दुरूपयोग करते हुए विभागीय नियम के विपरीत अवैध रूप से नियोजित पंचायत शिक्षकों को विद्यालय में योगदान कराने का आदेश निर्गत करने एवं विभागीय कार्यों का ससमय निष्पादन नहीं किये जाने संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. तदालोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 956 दिनांक 20.12.2022 एवं पत्रांक 513 दिनांक 20.06.2023 द्वारा श्री साह से बचाव अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री साह के पत्रांक 425 दिनांक 28.06.2023 द्वारा अपना लिखित बचाव अभिकथन उपलब्ध कराया गया। प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन पर निदेशालय के पत्रांक 1104 दिनांक 22.12.2023, एवं पत्रांक 145 दिनांक 10.02.2025 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय से मंतव्य प्रतिवेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक 745 दिनांक 27.02.2025 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

3. श्री साह से प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 569 दिनांक 18.06.2025 द्वारा श्री साह के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया गया। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदित में अंकित किया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक 3303 दिनांक 16.12.2021 द्वारा इन्टरमीडिएट कॉलेज, अमरपुर, भिड़हा, लखीसराय के पूर्व प्रार्चाय द्वारा सत्र 2009–11 का अनुदान राशि 7,95,200/– अधिक भुगतान के आरोप में उनके विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश श्री साह को दिया गया। परन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा उच्चाधिकारी के दिये गये निदेश के बावजूद भी इन्टरमीडिएट कॉलेज, अमरपुर, भिड़हा, लखीसराय के पूर्व प्राचार्य विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराया गया। आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हलसी के प्रभार में रहने पर फर्जी रूप से नियोजित शिक्षक श्री मौलेश्वरी राम को विद्यालय में योगदान कराने की अनुमति ज्ञापांक 1671 दिनांक 01.07.2022 द्वारा दी गयी। उक्त के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), लखीसराय के पत्रांक 129 दिनांक 29.05.2022 द्वारा उक्त योगदान संबंधी पत्र पर रोक

लगायी गयी। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा फर्जी शिक्षक को विद्यालय में यागदान कराने की अनुमति दी गयी।

5. निदेशालय के पत्रांक 1223 दिनांक 25.11.2025 द्वारा उक्त प्रमाणित जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री साह से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी । उक्त के अनुपालन में श्री साह द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

6. लिखित अभ्यावेदन में आरोपी पदाधिकारी द्वारा यह अंकित किया गया है कि जाँच प्रक्रिया प्रक्रियाधीन रहने के कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जा सका, यह स्वीकार योग्य नहीं है। आरोप के दूसरे बिन्दु पर तथ्य रखा गया है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), लखीसराय द्वारा उक्त शिक्षक का आवेदन संलग्न कर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया। तदांलोक में सशर्त उक्त शिक्षक का योगदान कराया गया। यह स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का मतलब योगदान कराना नहीं होता है। उक्त पर संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदित है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा योगदान कराने संबंधी पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), लखीसराय द्वारा रोक लगायी गई है। स्पष्ट है कि इनके द्वारा फर्जी शिक्षकों का विद्यालय में योगदान कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप के सभी बिन्दु को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

7. अतः समीक्षोपरांत श्री विनोद कुमार साह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध "पाँच वर्षों के लिए 05 प्रतिशत पेंशन कटौती" का दंड को अधिरोपित करते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है।

8. इस दण्ड की प्रविष्टि श्री साह के सेवा पुस्त में की जायेगी।

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक–08/आ०5–26/2020......195/ पटना, दिनांक 09.02.2026

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), लखीसराय/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/श्री विनोद कुमार साह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय–सम्प्रति–सेवानिवृत्त एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा